प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।

ज्ञापांक–   /लहेरियासराय,दिनांक–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अल्पकालीन निविदा का नियम एवं शर्त्तें

दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के लिये वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु BBAS (BIHAR BIOMETRIC ATTENDACE SYSTEM) मशीन उपकरण आदि के क्रय हेतु मुहर बंद लिफाफे में बिहार वाणिज्यकर में निबंधित सरकारी/गैर सरकारी निर्माता फर्म या प्राधिकृत आपूर्तिकर्ताओं से निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यरत दिन मे निविदा प्रकाशन के पश्चात सर्म्पक स्थापित कर सकते हैं। प्रथम प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर निविदा/सामानों कार्यों की सूची, शर्त्ते एवं नियम तथा अग्रधन राशि की विवरण महाविद्यालय के Website - www. dmc.edu.in पर देखा जा सकता है, तथा उसे डाउनलोड कर निविदा समर्पित कर सकते है। साथ ही किसी भी कार्य दिवस के दिन निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों तक कार्यालय से निविदा/सामानों/कार्यों की सूची, शर्त्ते एवं नियम आदि आवेदन देकर निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। प्रथम निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 वें दिन के अपराह्न 5:00 बजे तक निविदा स्वीकार्य किया जायेगा। यदि 15 वें दिन किसी प्रकार की छुट्टी रहती है, या अपरिहार्य कारण से प्राचार्य कार्यालय बंद रहता तो उसके अगले दिन डाक विभाग से 15 वें दिन को प्राप्त निविदा को ली जायेगी। उपर्युक्त दिए गए अवधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरांत तीन दिनों के अन्दर क्रय समिति के समक्ष निविदा कार्यालय अवधि में अपराहन में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रह सकते है। इसके लिए अलग से सूचना नहीं दी जायेगी। बैठक मे भाग नहीं लेनेवाले द्वारा किसी प्रकार की दावा मान्य नहीं होगा। बैठक की तिथि कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से ही मान्य होगा।

ह०/-
प्राचार्य
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय
लहेरियासराय।

ज्ञापांक– 3121   लहेरियासराय,दिनांक– 05/08/22

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिलापदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, जिला उध्योग ईकाई, दरभंगा/जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यालय के लेखाशाखा, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– बेवसाईट पर डालने हेतु।

एक प्रति कार्यालय के सूचना पट हेतु।

प्राचार्य
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय
लहेरियासराय।

प्राचार्य का कार्यालय, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।

ज्ञापांक– 3122 /लहेरियासराय,दिनांक– 05/08/22

वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत **अल्पकालीन** निविदा का नियम एवं **शर्तें**

1– निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि प्रथम प्रकाशन के तिथि से 15 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त होनी चाहिए। बाद में प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, और ना ही इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य होगा। डाक विभाग में हुई देरी के लिए अंतिम तिथि में कोई छूट नहीं दी जायेगी। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से ही मान्य होगा।

2–निविदा दो प्रकार की होगी। पहला–(क) तकनीकी निविदा, जिसमें **मशीनों** की सूची,मेक,गुणवत्ता, मॉडल, **अस्पेशिफिकेसन** , कैटलॉग, अधिष्ठान, ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 का दर प्रकाशित, अधिकृत विक्रेता प्रमाण–पत्र आदि से संबंधित कागजात तथा मशीनों के **आवश्यकतानुसार** टर्न–की के तहत आने वाली कार्यों का उल्लेख भी करना होगा। दूसरा(ख) वित्तीय निविदा होगा, जिसमें **मशीनों** का दर कर सहित एवं कर रहित अंकित हो अलग–अलग मुँहरबंद लिफाफे में दोनों निविदा पर बड़े–बड़े अक्षरों में तकनीकी निविदा एवंम वित्तीय निविदा टंकित कर पुनः एक बड़े लिफाफें में भरकर सील बंद कर पी0आर0 नं0 लिखते हुए उस पर जिन सामानों का निविदा हो (कंडिका–3 के अनुसार) अलग–अलग उसका नाम अंकित कर प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय –846003, के पदनाम से निबंधित डाक/स्पीडपोस्ट द्वारा भेजी जाय।(तकनिकि निविदा एवं वित्तीय निविदा के मुँहरबंद लिफाफ में Hard copy एवं Soft Copy(CD/DVD/Pendrive) संलग्न करना अनिवार्य होगा)।

3– निविदा दाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित **मशीन उपकरण** के सामने अंकित अग्रधन के रूप में अंकित राशि किसी भी राष्ट्रीय बैंक/डाक घर का बैंक, ड्राफ्ट अथवा एन0एस0सी0 (जिसका सत्यापन अंकित स्थानीय स्तर से हो सकें) जो प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के पदनाम से भुगतेय हो संलग्न करना अनिवार्य है। दर अनुमोदित होने **पर** अग्रधन की **राशि, सुरक्षा** की राशि **जमा होने के फलस्वरूप वापस कर दी जाएगी** :–

I– मशीन उपकरण एवं उन्नयन कार्यों के लिये अग्रधन की राशि – 50,000/–

4– नोटरी पब्लिक द्वारा फर्म को यह शपथ–पत्र समर्पित करना होगा कि उनके फर्म को काली सूची में नहीं डाला गया है अथवा काली सूची में डालने की प्रकिया नहीं चल रही है तथा उस पर कोई कानूनी कारवाई नहीं चल रहा है।

5–तकनीकी निविदा के तहत सामानों का तकनीकी विवरण पेन नम्बर कार्ड, निबंधन प्रमाण–पत्र, GST निबंधन प्रमाण–पत्र एवं किस कार्य के लिए निबंधित है की स्पष्ट छाया प्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाताओं के निर्माता/ अधिकृत विक्रेता एवं प्रधिकृत वितरक यदि है का प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना **आवश्यक** होगा। जिन निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता के **मशीन** उपकरण के **निश्चित** अवधि तक के लिये सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। तकनिकी निविदा के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये सामानों की सूची (इन्डेक्स) **आवश्यक** रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निविदा सूची के कमवार तकनिकी विविरण अंकित होना चाहिए

7– निविदा में किसी प्रकार का मात्र छुट अंकित न कर छुट सहित दर अंकित करें।

8– निविदादाताओं को **मशीन उपकरण** का बाजार दर तथा उसमें लगने वाले **एसोसिरिज** का दर, अधिष्ठापन का दर तथा अन्य दर जो नियमतः देय हो को वित्तीय निविदा में सामानों/कार्यों के सामने

5/8/22

अलग–अलग उल्लेख करना अनिवार्य होगा। मशीनो/सामानों का दरों का सत्यापन ऑनलाईन किया जायेगा, इसलिए मशीनों का मूल्य ऑनलाईन मूल्य से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9– सभी निविदा कम्प्युटर टंकित होनी चाहिए। किसी प्रकार का काट–कुट या लीप लेपन होने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। सभी निविदादाता अपने–अपने निविदा में अपने एजेन्सी/फर्म का ई–मेल रूप से अंकित करें। जिससे कि किसी भी प्रकार का सूचना ई–मेल के माध्यम से दिया जा सकें।

10– निविदा खोलने की तिथी को निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित रह सकते है। इसकी सूचना कॉलेज के सूचनापट एवं वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके लिए अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा बैठक में भाग नहीं लेने वाले को बाद में किसी भी प्रकार का कोई शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का सूचना दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के Website- www. dmc.edu.in अथवा नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है, तथा वेबसाईट पर प्रकाशित सूची को डाउनलोड कर उसके कमानुसार निविदा किया जा सकता है अथवा किसी भी कार्य दिवस के दिन निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निविदा सूची, नियम एवं भार्ते कार्यालय में आवेदन देकर प्राप्त किया जा सकता है।

11– बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठानों या लघु उद्योग विभाग से निबंधित चालू इकाईयों, उत्पादनरत् को नियमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी। बिहार में उद्योग ईकाई के रूप में निबंधित फर्मों को संबंधित उद्योग पदाधिकारी से चालू इकाई/उत्पादनरत का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसकी स्पष्ट स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके निविदा को सामान्य निविदा समझा जायेगा।

12– सरकारी प्रावधानों/नियमों के अनुसार अग्रधन की राशि में छुट दी जा सकती है। निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में निविदा दाताओं को अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी, जिसके लिए उन्हें निबंधित डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न करना होगा।

13– निविदा दाता अपने वित्तीय निविदा में सामानों का दर टैक्स सहित एवं टैक्स रहित स्पष्ट रूप से अंकित करेंगें, दोनों दर अंकित नहीं रहने पर निविदा स्वतः रद्द समझी जायेगी।

14–जिन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा सामानों की आपूर्ति करने में बाधा पहूँचायी जायेगी या समय पर आपूर्ति करने में वे विफल रहेंगे, उनकी अग्रघन की राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उसे ब्लैकलिस्ट करने की कारवाई की जायेगी। किसी भी सामानों/मशीन के मरम्मति उपरांत उसका एक वर्ष का गारंटी देना अनिवार्य होगा। यदि एक वर्ष के अन्दर में मरम्मति किये गये मशीन में खराबी आती है तो आपूर्तिकर्त्ता को निःशुल्क उस मशीन का पुनः मरम्मति करना पड़ेगा, अन्यथा उनका अग्रधन कि राशि जप्त करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

15–मशीन की आपूर्ति/ अधिष्ठापन संबंधित विभागों में करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मशीन आपूर्ति/ अधिष्ठापन निर्धारित विभाग/ स्थान में कर उसका प्रदर्शन/ प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था संबंधित विभागाध्यक्ष के समक्ष करना होगा। इसके लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जायेगी। संबंधित विभाग द्वारा मशीन उपकरण का स्थापना संतोषप्रद कार्य करने का प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही विपत्रों के भुगतान की प्रकिया की जायेगी। निविदादाता को स्वीकृत सामानों/कार्यों का नमूना या कैडलॉग एवं अन्य आव यकतानुसार छोटी मशीन एवं अन्य सामग्री मांग करने पर निरीक्षण हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

16– आपूर्तिकर्त्ता को मानक कम्पनी का दर/डी0जी0एस0 एण्ड डी0 का दर यदि उपलब्ध हो तो रेट का उल्लेख अपने निविदा में करना होगा। मशीन आदि का मूल्य किसी भी परिस्थिति में केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही निविदादाता को इस आशय का घोषणा पत्र (नोटरी पब्लिक द्वारा) मूल रूप में देना होगा कि निविदा में अंकित दर केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सिलिंग मूल्य के अन्तर्गत है।

18– पाँच लाख से उपर के लागत वाले मशीन उपकरणों का कय सरकार के आदेश होने के उपरांत ही कय आदेश निर्गत किया जायेगा।

17– नियमानुसार जिन निविदादाताओं का तकनिकी निविदा कय समिति द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा। जिन निविदादाताओं का जिन सामानों/कार्यों का ऐश्पेशिफिकेसन, गुणवत्ता आदि के आधार पर तकनिकी निविदा कय समिति द्वारा, स्वीकृत किया जायेगा, उन्हीं सामानों/कार्यों का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जायेगा, जिन सामानों/कार्यों का कय समिति द्वारा तकनिकी रूप से स्वीकृत नहीं किया जायेगा उन सामानों/कार्यो का वित्तीय तुलनात्मक विवरणी तैयार नहीं किया जायेगा। जिन निविदादाताओं का तकनिकी निविदा कय समिति द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा उन निविदादाताओं का निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा तकनिकी रूप से अस्वीकृत निविदादाताओं का किसी प्रकार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

18– जिन आपूर्तिकर्त्ता द्वारा पूर्व में कार्य असंतोषप्रद रहा हो उन आपूर्तिकर्त्ताओं का निविदा अस्वीकार किया जायेगा। जिन आपूर्तिकर्त्ताओं का कार्य पूर्व में असंतोषप्रद रहा हो, उनके द्वारा दूसरे फर्म एजेन्सी के नाम से निविदा डालने पर भी निविदा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

19– एक लाख तक के मशीन/ उपकरण की एक वर्ष की गारंटी अनिवार्य होगी तथा चार वर्षों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) करना होगा। चार वर्षों के लिए उक्त मशीन उपकरणों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रतिशत तकनिकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा। AMC / CMC **के संबंध में भविष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देश का पालन संबंधित एजेंसीयो को मानना अनिवार्य होगा ।**

20– एक लाख से उपर वाली मशीन/उपकरण/उन्नयन कार्य के लिए तीन वर्षों का कम्प्रिहेंसिव वारंटी अनिवार्य होगा तथा पाँच वर्षों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) करना होगा। पाँच वर्षों के लिए उक्त मशीन उपकरणों/उन्नयन कार्यों का वार्षिक रख–रखाव (ए0एम0सी0/सी0एम0सी0) का प्रतिवर्ष का दर प्रति ात तकनिकी निविदा अथवा वित्तीय निविदा में उल्लेख करना होगा। साथ ही साथ सफल संचालन हेतु एकरारनामा करना होगा। AMC / CMC **के संबंध में भविष्य में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत निर्देश का पालन संबंधित एजेंसीयो को मानना अनिवार्य होगा ।**

कंडिका–19 एवं 20 में वर्णित सभी मशीन उपकरणों/उन्नयन कार्यों की गारंटी/ वारंटी अवधि समाप्त होने के उपरांत किये गये ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के लिए अग्रिम भुगतान की प्रकिया बिहार सरकार, वित विभाग, बिहार, पटना के वित नियमावली–2005 के अनुसार किया जायेगा। ए0एम0सी0/सी0एम0सी0(वार्षिक रख–रखाव) का भुगतान संबंधित विभागों से मशीनों के संतोषप्रद संचालन एवं कार्यरत संबंधि प्रमाण–पत्र समर्पित करने एवं आवंटन उपलब्ध रहने के उपरांत ही भुगतान की जायेगी। आवंटन के अभाव में भुगताान में हुये देरी के लिए अलग से कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

21–मशीन के कय आदेश के मूल्य का 5 प्रतिशतता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से गारंटी बतौर जमानत आपूर्तिकर्त्ता को 15 दिनों के अन्दर देना होगा। उक्त बैंक गारंटी (Comprehensive) वारंटी **अवधि के साथ साथ** AMC /CMC अवधि तक के लिए वैलिड(Valid) होना चाहिए। वारंटी की अवधि में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा लगाये गये मशीन में खराबी होने की सूचना दिये जाने के 24 घंटो के अन्दर मशीन की मरम्मती करवाना होगा, अन्यथा वारंटी की अवधि स्वतः बढ़ जायेगी। ससमय मशीन ठीक नहीं होने की स्थिति में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई के साथ–साथ सुरक्षा राशि की राशि जप्त कर ली जायेगी।

22–आपूर्तिकर्त्ता को एक लाख से उपर वाले मशीन/उपकरण का अधिष्ठापन टर्न–की वेसीस पर करना होगा। अधिष्ठापन हेतु सिर्फ जगह (मकान/कमरा) आवश्यकतानुसार एवं विधुत आपूर्ति व्यवस्था संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

23– मशीन उपकरणों का वार्षिक रख–रखाव का निविदा पार्टस सहित देना होगा। स्वीकृत निविदादाताओं को प्रत्येक मशीन उपकरणों हेतु अलग–अलग सत्यापित लॉग बुक उपलब्ध कराना होगा, जिस पर प्रत्येक माह का संतोषप्रद कार्य होने संबंधि प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग से लेना होगा।ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 के भुगतान लेने से पूर्व वित्तीय नियमावली के अनुसार सुरक्षा राशि के तौर पर मूल भुगतेय राशि का 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि का किसी राष्ट्रीय बैंक से बैंक गारंटी जो प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय के नाम से भुगतेय होगा, कार्यालय को समर्पित करना होगा।

24– विपत्र का भुगतान आवंटन उपलब्ध रहने के आधार पर नियमतः श्रोत पर इन्कम टैक्स, जी0एस0टी0 आदि कटौती करने के बाद CFMS के माध्यम से किया जायेगा।

25– भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जी0एस0टी0/ अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

26– अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी भी निविदा का रद्द अथवा अस्वीकृत कर सकता है साथ ही निविदा की तिथि में परिवर्तन कर सकते है।

27–किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जिला स्तर पर दरभंगा न्यायालय एवं राज्य स्तर पर पटना उच्च न्यायालय होगा।

ह०/-
प्राचार्य
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय
लहेरियासराय।

ज्ञापांक– 3122 /लहेरियासराय,दिनांक– 05/08/22

प्रतिलिपिः– आयुक्त दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिलापदाधिकारी, दरभंगा/महाप्रबंधक, जिला उद्योग ईकाई, दरभंगा/जिला जन–सम्पर्क पदाधिकारी, दरभंगा/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– कार्यालय के लेखा शाखा, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

एक प्रति कार्यालय के सूचना पट एवं वेबसाइट– Website www. dmc.edu.in पर देने हेतु

प्राचार्य
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय
लहेरियासराय।
5/8/22

OFFICE OF THE PRINCIPAL: DARBHANGA MEDICAL COLLEGE
LAHERIASARAI

SHORT TENDER LIST OF MACHINE EQUIPMENT FOR THE YEAR 2022-23

Serial Number.	Name of Article
1.	FORTUNA BIOMATRIC MACHINE/ MICROBEN BIO FOR BBAS
2.	POE/ GIGA SWITCH 8 PORT & 16 PORT FOR BBAS
3.	NORMAL SWITCH 8 PORT FOR BBAS
4.	FIBER CABLE FOR BBAS
5.	DESKTOP FOR BBAS
6.	UPS FOR BBAS
7.	RJ45 CONNECTOR FOR BBAS
8.	NET CONNECTION FOR BBAS
9.	P2P DEVICE 5 GHZ FOR BBAS
10.	CCTV Camera 4K resolution

9/8/22

Principal
Darbhanga Medical College
Laheriasarai.

9/8/22